



## समक्ष न्यायालय— सदस्य राजस्व मण्डल, गवालियर

नियरानी—2637/2018/छिंदवाडा/भ्र. २८

श्रीमती लक्ष्मी बाई पति रेखनशाह पिता दलपत गोड, उम्र करीब 29 वर्ष  
निवासी—हाल मुकाम पुलिस लाईन छिंदवाडा  
तहसील व जिला छिंदवाडा

....पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

### पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भ०रा०स०

राजस्व प्रकरण क्रमांक 94/अ-21/17-18 मौजा ग्राम सालीवाड़ा प०ह०न० २४, तहसील व जिला छिंदवाडा पक्षकार लक्ष्मी विरुद्ध म०प्र० शासन न्यायालय कलेक्टर छिंदवाडा के आदेश दिनांक 23/04/2018 से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :—

#### पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता उपरोक्त पते के निवासी है। पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा ग्राम सालीवाड़ा, प०ह०न० २४ तहसील उमरेठ जिला छिंदवाडा में कृषि भूमि स्थित है, जिसका ख०न० 111/2 रकबा 0.729 है। असिंचित जमीन स्थित है। उक्त संपत्ति लिख देने वाले की स्वर्णर्जित संपत्ति है जो उसके द्वारा पंजीयत बैनामा दिनांक 29/09/2014 के आधार पर क्य कर क्षमा प्राप्त किया गया था।

2. यह कि, उक्त संपत्ति पुनरीक्षणकर्तागण की स्वर्णर्जित संपत्ति है जो उक्त संपत्ति को पुनरीक्षणकर्तागण के द्वारा पारिवारिक एवं पुत्री के लालन-पालन के लिए रूपयों की आवश्यकता होने के कारण विक्रय करने का अनुबंध किया गया है।

3. यह कि, पुनरीक्षणकर्तागण गोड जाति का सदस्य है एवं मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार किसी भी कृषि भूमि को किसी गैर अनुसूचित जाति के सदस्य को बेचने के लिए अनुमति लेना आवश्यक होता है। जिस आधार पर विक्रय की अनुमति के लिये जिलाध्यक्ष छिंदवाडा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर सुनवाई ना किये जाकर पुनरीक्षणकर्ता का प्रकरण निरस्त किया गया जिससे व्यथित होकर यह पुनरीक्षणयाचिका प्रस्तुत है :—

#### पुनरीक्षण के आधार

4. यह कि, विद्वान कनिष्ठ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दस्तावेजों एवं विधि का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

*Mukund*

नाम—  
दस्तावेज व नाम  
नाम—  
15/18

*Mukund*

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी 2637/2018/छिंदवाड़ा/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२७।५।१४	<p>प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, छिंदवाड़ा के प्रकरण क्रमांक 93/अ-21/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 23-4-18 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति के संबंध में है । आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की मौजा ग्राम सालीवाड़ा प0ह0नं0 24 तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाड़ा स्थित कृषि भूमि ख0नं0 111/2 रकबा 0.729 हैक्टर को गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति चाही गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानते हुए कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक 5-3-76-384-सात-न 1 दिनांक 21-2-1977 म0प्र0 राजपत्र दिनांक 11-3-1977 के अनुसार अंतरण पर रोक विनिर्दिष्ट दिनांक 26 जनवरी, 1977 के पश्चात आदिम जनजाति के विनिर्विष्ट क्षेत्र के भूमिस्वामी अधिकारों के बगैर आदिम जनजाति के व्यक्ति के हित में अंतरण पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है और चूंकि आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति हैं और वे गैर आदिवासी को भूमि विक्रय करना चाहते हैं । उक्त आधार पर कलेक्टर ने आवेदक के आवेदन को ग्राह्य योग्य न मानते हुए निरस्त किया</p>	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>है। इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उक्त प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं क्योंकि आवेदित भूमि अधिसूचित क्षेत्र में स्थित नहीं है। यह भी कहा गया कि आवेदित भूमि शासकीय पड़े पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक की पैत्रिक भूमि है। यह भी कहा कि उन्होंने आवेदन में आवेदित भूमि स्थल पर गढ़े में होने के कारण एवं इस भूमि से आवेदक को कृषि का समुचित लाभ प्राप्त न होने के कारण तथा आवेदक के बहुत समय पूर्व दूसरे ग्राम में स्थाई निवास करने के कारण आवेदक ने आवेदित भूमि को विक्रय कर निवास ग्राम से लगे हुए ग्रामों में भूमि क्रय करने का उल्लेख आवेदन में किया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की जांच कराए एवं प्रकरण के तथ्यों को अनदेखा कर गलत आधार पर आवेदन निरस्त किया है।</p> <p>3/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में भूमि को अधिसूचित क्षेत्र में स्थित होने के आधार पर आवेदक का आवेदन निरस्त किया है, जो उचित है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि यदि न्यायालय यह समझता है कि कलेक्टर द्वारा उक्त अधिसूचना पर विचार नहीं किया गया तब प्रकरण पुनः कलेक्टर को उचित आदेश हेतु प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।</p> <p>4/ उभयपक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में संहिता की धारा 165 के प्रावधानों का अवलोकन किया गया। यह सही है कि कलेक्टर द्वारा राज्य शासन की जिस अधिसूचना का हवाला दिया गया है उसके अनुसार आदिम जनजाति क्षेत्र में छिंदवाड़ा जिले की छिंदवाड़ा, सौंसर एवं अमरवाड़ा तहसील सम्मिलित थी परंतु इसके उपरांत संहिता की धारा 165 (6क) से (6डड) तक के प्रयोजन के</p>	

XXXIX(a)BR(H)-11

- ५ -

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी 2637/2018/छिंदवाड़ा/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>लिए भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II-ख-3 (i) में प्रकाशित अधिसूचना सा.का.नि.797 (अ) दिनांक 31 दिसम्बर 1977 द्वारा भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के छठे पैरा के उप पैरा (2) द्वारा बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश एवं उड़ीसा राज्य के लिए अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये गये हैं। मध्यप्रदेश के लिए घोषित अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूची सरल क्रमांक 21 पर छिंदवाड़ा तहसील के तामिया और जामाई जनजातीय विकासखंड, पटवारी सर्किल क्रमांक 63 से 68 और क्रं0 72 और 73 पटवारी सर्किल क्रं0 62 के सीरगांव खुर्द और किरवानी-गांव, पटवारी सर्किल क्रमांक 69 के मैनावाड़ी और गगौली परासिया गांव तथा पटवारी सर्किल क्रमांक 97 का गांव बम्हनी इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित क्षेत्र हैं। इस अनुसूची में मौजा ग्राम सालीवाड़ा प0ह0न0 24 तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाड़ा जहां प्रश्नाधीन भूमि स्थित है का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार यह पाया जाता है कि वादग्रस्त भूमि अधिसूचित क्षेत्र में स्थित होने से संहिता की धारा 165 (6क) से (6डड) के बंधन से मुक्त है। इस प्रावधान को अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है। अतः उक्त विधिक स्थिति तथा आवेदक की ओर से विक्रय की अनुमति दिए जाने के लिए उल्लिखित किये गये आधारों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को उनके भूमिस्वामित्व की आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अङ्गचन प्रतीत नहीं होती है। अतः कलेक्टर, छिंदवाड़ा</p>	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश  -५-	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>पारित आलोच्य आदेश निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को उनके भूमिस्वामी स्वत्व की मौजा ग्राम सालीवाडा प0ह0नं0 24 तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाड़ा स्थित कृषि भूमि ख0नं0 111/2 रकबा 0.729 हैक्टर भूमि को गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति इन शर्तों के साथ प्रदान की जाती है कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा विक्रयपत्र के निष्पादन के समय प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन एवं बाजार मूल्य जो भी अधिक हो की दर से भूमि का मूल्य आवेदक को अदा किया जायेगा। उप पंजीयक को यह निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि ( पूर्व में अनुबंध के समय द्वी गई अग्रिम राशि को कम करके ) बैंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट/नेट बैंकिंग से आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।</p> <p>परिणामस्वरूप यह निगरानी उपरोक्तानुसार निराकृत की जाती है। पक्षकार सूचित हों।</p>  <p>( एम. गोपाल रेड्डी ) प्रशासकीय सदस्य</p>	